झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 934/2017

1. मो. रेहान

2. मंजर खान

3. मो. सलीम अंसारी

4. अखलाक अंसारी

5. शाहबाज हुसैन

6. इम्तियाज अंसारी..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, रांची, अध्यक्ष के माध्यम से

2. निदेशक (तकनीकी) (पीएंडपी), सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, रांची

3. महाप्रबंधक (एल एंड आर) (कार्यपालक), सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, रांची

4. महाप्रबंधक, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, रेजरप्पा एरिया, रामगढ़..... उत्तरदाता

--- -

कोरम

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

--- -

याचिकाकर्ताओं के लिएः श्री लुकेश कुमार

सीसीएल के लिएः श्री ए के दास

08/26.04.2018 उत्तरदाताओं, विशेष रूप से उत्तरदाता सं. 2 और 3 को यह निर्देश जारी करने के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है कि वे जांच समिति के निष्कर्षों का अनुपालन करें और जिनकी भूमि ली गई है, उनको पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति का लाभ प्रदान करें तथा याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी करें।

याचिकाकर्ताओं के विद्वत् अधिवक्ता का निवेदन है कि उत्तरदाता द्वारा उक्त भूमि का अधिग्रहण एस.ओ. सं. 2777 दिनांक 04.08.1964 के तहत किया गया था, तथा संबंधित किरायेदारों/रैयतों को सी.आर. संख्या 11, 172, 174 एवं 75 के तहत मुआवजे का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति के अनुसार, प्रति 2 एकड़ भूमि के एवज में एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जाना है। इस प्रकार भूमिदाता,

कानूनी रूप से उत्तरदाताओं द्वारा अधिग्रहित 12 एकड़ भूमि के एवज में 6 रोजगार प्राप्त करने के हकदार हैं।

स्व. मलिक सनाउल्लाह (भूमिदाता) की पत्नी पाकिजा खातून ने याचिकाकर्ताओं को उक्त 12 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में भूमिदाता नीति के तहत रोजगार प्रदान करने के लिए आवेदन दिया।

उक्त आवेदन के साथ वंशावली भी प्रस्तुत की गई थी, जो अंचल अधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय से पत्र संख्या 169 दिनांक 07.03.2012 के तहत जारी किया गया था.

उत्तरदाता-सीसीएल के अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.01.2015 को एक विस्तृत जांच रिपोर्ट (रिट याचिका का संलग्नक-1) भी तैयार की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं को मूल भूमिदाता स्व. मलिक सनाउल्लाह के वंशज/पोते बताया गया था।

तदनुसार, पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को छह रोजगार देने की बात कही गई थी।हालांकि, स्व. मलिक सनाउल्लाह की बेटी हस्मत जहां ने अपनी दावेदारी पर स्वयं ही आपत्ति जताई और इस आपत्ति के कारण, उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ताओं को रोजगार नहीं दिया है.

आगे यह निवेदन किया गया है कि पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति के अनुसार, उक्त भूमि के अधिग्रहण के एवज में छह रोजगार दिए जाने थे और यदि हस्मत जहां द्वारा आपत्ति जताई गई थी, तो भी उत्तरदाता-प्राधिकारी कथित आपत्ति/दावे पर उचित निर्णय लिए जाने तक के लिए एक रोजगार लंबित रखते हुए कम से कम पांच रोजगार प्रदान कर सकते हैं।

उत्तरदाता-सीसीएल के विद्वत वकील ने निवेदन किया है कि हस्मत जहां ने अन्य याचिकाकर्ताओं के दावे पर भी आपत्ति जताई है कि वे स्व. मलिक सनाउल्लाह के वास्तविक वंशज नहीं हैं।तथापि, यदि याचिकाकर्ता छह में से पांच रोजगार प्रदान किए जाने हेतु एक नया अभ्यावेदन दायर करते हैं, तो कानून के अनुसार, कथित दावे के तथ्यात्मक सत्यापन के बाद उस पर विचार किया जाएगा।

उत्तरदाताओं के विद्वत अधिवक्ता द्वारा किए गए उपरोक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुए, विवाद की योग्यता पर ध्यान दिए बिना, याचिकाकर्ताओं को छह में से पांच रोजगार के लिए दावा करते हुए प्रत्यर्थी नं. ३ के समक्ष एक नया प्रतिनिधित्व दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जाती

है.उत्तरदाता सं. 3, उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर तथ्यों का उचित सत्यापन करके विचार करेगा और पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति और इस संबंध में लागू अन्य प्रासंगिक नियमों के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा।

इस प्रकार, उपरोक्त स्वतंत्रता और निर्देश देते हुए इस रिट याचिका का निष्पादन किया जाता है।

आई. ए. सं. 9086/2017 का भी निष्पादन किया जाता है।

सतीश/- (राजेश शंकर, न्याया.)